मॉडल कृषि करार: केला

यह कृषि करार ("करार")..... द्वारा जिसका कार्यालय ..... (इसके पश्चात "कम्पनी" संदर्भित) पर है, के बीच किया जा रहा है।

तथा

किसान का

नाम और पता

(इसके पश्चात "किसान" संदर्भित)

(इसके पश्चात प्रत्येक किसान और कम्पनी व्यक्तिगत "पक्षकार" तथा सामूहिक रूप से "पक्षकारों" के रूप में संदर्भित)

भूमिका

जबकि, कंपनी भारत में/से विश्व स्तर के फलों का उत्पादन करने के लिए उन्नत तकनीक और

उत्पादन तकनीकों का समावेश करने के लिए किसानों के साथ काम करने पर केंद्रित है।

जैसा कि किसान श्री/श्रीमती/सुश्री ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... निवासी ग्राम ..... तालुका ..... जिला ..... राज्य ..... (भारत) के पास कृषि भूमि राजस्व सर्वे संख्या ....., तालुका ..... जिला ..... राज्य ..... (भारत) के गाँव में है जिसका भूमि क्षेत्रफल तथा माप ..... एकड़ है, जो उपर्युक्त भूमि में केले की खेती करना चाहते हैं और गुणवत्तापूर्ण केले के अपने उत्पादन में तथा अपनी उपज के विपणन में सहायता के लिए कम्पनी का निर्देशन चाहते हैं।

अब, इसलिए, पक्षकार निम्नानुसार सहमत हैं :

1. परिभाषाएँ

1.1 **अनुबन्ध** से अभिप्रेत केवल केले के उत्पादन तथा खरीद हेतु अनुबन्ध होगा।

1.2 **"केला"** से अभिप्रेत केले की केवेंडिश किस्म, ग्रैंड नैने (जी9) अथवा कोई ऐसी किस्म से है जिसे खेती हेतु उपयुक्त समझे तथा समय-समय पर इसकी अवधि के दौरान किसान को लिखित में इसकी सूचना दे।

1.3 **पक्षकारों** से किसान तथा कम्पनी अभिप्रेत होगा तथा **पक्षकार** से या तो किसान या कम्पनी अभिप्रेत होगा।

1.4 **उपज** से वह केले का फल अभिप्रेत होगा जो इस करार में निर्दिष्ट भूमि से उत्पादित कर प्राप्त किया जायेगा।

1.5 **"डिलीवरी का स्थान"** से उस स्थान की भूमि सन्दर्भित होगी जहाँ किसान द्वारा केले के फलों का संग्रह किया जायेगा।

1.6 **परियोजना** से अभिप्राय किसान द्वारा वर्तमान करार के तहत की गयी खेती तथा वर्तमान करार की शर्तों के अनुसार उत्पादन की खरीद के लिए कम्पनी के उपक्रम शामिल होंगे।

1.7 "अधिकतम अवशिष्ट सीमा" से अभिप्रेत उस रासायनिक अवशेष स्तर से है जो केले के परीक्षण के दौरान भारत के खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम अथवा किसी अन्य विधिक अधिनियम द्वारा निर्धारित अथवा निर्यात के मामले में उस क्षेत्र की मंडी, जहाँ बिक्री द्वारा केले का वितरण किया जाना है, द्वारा निर्धारित अधिकतम मानक से अधिक न हो।

1.8 **"कटाई आदेश"** से अभिप्रेत निम्नलिखित को निर्दिष्ट करने वाले कम्पनी के लिखित निर्देश से है :

(क) केलों के संग्रहण/कटाई की तिथि एवं समय;

(ख) केलों का ग्रेड तथा आयु।

1.9 **अस्वीकार** से वे केले संदर्भित हैं जो अनुबंध घ में कम्पनी द्वारा निर्धारित निर्दिष्ट गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में असफल होंगे।

1.10 **"विराम आदेश"** से अभिप्रेत है किसान को उस किसी समय पर जब से कम्पनी को डिलीवरी के

लिए केलों का संग्रहण रोका जाना है (पूर्व में जारी किये गये कटाई आदेश के बाद) अथवा कम्पनी द्वारा निर्धारित जानकारी/निर्देश का किसान द्वारा अनुपालन न किये जाने और अनुबंध 'ग' में निर्धारित लाल रेटिंग के निर्गमन के अनुपालन में संग्रहण तक किसी भी समय पर कम्पनी द्वारा जारी किये जाने वाले लिखित निर्देश से है।

1.11 कम्पनी या निगम के **"समापन",** "विघटन", "ऋणशोधन अक्षमता", अथवा "पुनर्गठन" से अभिप्रेत उस न्यायक्षेत्र के कानून के तहत शामिल कोई समतुल्य अथवा समरूप कार्यवाहियों से होगा जिसमें ऐसी कम्पनी या निगम निगमित है अथवा कोई ऐसा न्यायक्षेत्र जिसमें ऐसी कम्पनी या निगम व्यवसाय करती है और जिसमें परिसमापन, समापन, पुनर्गठन, विघटन, ठहराव, देनदारों का संरक्षण अथवा राहत की अपेक्षा शामिल है।

2. करार की अवधि

2.1 यह करार दिनांक ..... से प्रभावी होगा।

2.2 पक्षकार सहमत हैं कि वे प्रसंस्करण अवधि, घरेलू मंडी में बिक्री अथवा अन्तर्राष्ट्रीय निर्यात सहित एक फसल सीजन की अवधि हेतु मिलकर कार्य करेंगे। किसान सुनिश्चित करेगा कि वह केवल केले की कृषि तथा उसके फलों के उत्पादन हेतु भूमि प्रदान करेगा और करार की इस अवधि के दौरान निरन्तर कम्पनी के साथ कार्य करना जारी रखेगा।

2.3 पक्षकार इस पर भी सहमत हैं कि वे करार के कार्यान्वयन की तिथि से पहली पैदावार हेतु मिलकर कार्य करेंगे। इस अनुभव के आधार पर दोनों पक्ष अगले वर्ष के लिए करार के निरन्तर या अनिरन्तर रखने का निर्णय आपस में करेंगे।

2.4 यह करार दोनों पक्षों द्वारा अन्य फसल सीजन हेतु पारस्परिक रूप से विस्तारित किया जा सकता है।

3. कृषि उपज का विवरण

3.1 यह करार केवल कैवेंडिश केले की ग्रैंड नैने (जी 9) किस्म या कृषि हेतु अपने निजी विवेकानुसार कम्पनी जिसे उपयुक्त समझे उस अन्य किस्म तक सीमित रहेगा।

4. गुणवत्ता विनिर्देश

4.1 केले के केवल उन्हीं फलों को स्वीकार किया जायेगा जो अनुबंध 'घ' में उल्लिखित गुणवत्ता विनिर्देश को पूरा करते हों। दरारयुक्त, क्षतिग्रस्त, अत्यधिक पके तथा असंगत रंग के छिलकों वाले फल स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

4.2 सूर्यताप से प्रभावित केले के फल स्वीकार्य नहीं होंगे।

4.3 वे सभी उपज जो अनुबंध 'घ' में उल्लिखित मानदंड पूरा नहीं करते हों, स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

5. भूमिकाएँ तथा उत्तरदायित्व

5.1 किसान अनुबंध 'घ' में उल्लिखित कम्पनी के गुणवत्ता विनिर्देशों के अनुसार भूमिका में उल्लिखित भूमि पर केला उगाने तथा संग्रह करने पर सहमत होगा। केले के पौधे की बुवाई के लिए केला ऊतक संवर्धन पौधों की खरीद कम्पनी के किसी हस्तक्षेप के बिना पूर्णत: किसान के विवेकानुसार की जायेगी।

5.2 किसान कम्पनी अथवा उसके तकनीकी सेवा प्रदाता द्वारा संस्तुत सामग्री तथा रसायनों के उपयोग सहित कम्पनी अथवा उसके सेवा प्रदाता द्वारा निर्धारित तकनीक तथा उत्पादन विधि का पूर्णत: अनुपालन करेगा। कम्पनी किसानों के लिए ऐसी विशिष्टताओं और प्रचालनों को लिखित में विनिर्दिष्ट करेगी। ऐसी विशिष्टताओं को परियोजना अवधि के दौरान परिवर्तित किया जा सकेगा।

5.3 किसान को अपनी लागत और जोखिम पर, सभी परियोजना विकास, फसल-पूर्व और फसलोपरांत गतिविधियों को पूरा करना होगा, जिसमें भूमि विकास, आधारभूत संरचना विकास, गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री और रोपण की व्यवस्था, पौधों की देखभाल गतिविधियाँ, फलों की देखभाल गतिविधियाँ, उर्वरक और पोषण की व्यवस्था, ड्रिप सिंचाई स्थापना और प्रबंधन, सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था, खरपतवार नियंत्रण और प्रबंधन, स्वच्छता, रोग और कीट प्रबंधन, कटाई और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के लिए आवश्यक होने पर कोई अन्य संचालन जैसी गतिविधियां

शामिल हैं।

5.4 किसान कंपनी के प्रतिनिधि की देखरेख में चूषक चयन के लिए अपने व्यय पर कामगारों और आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था करेगा।

5.5 हालांकि, कंपनी सीथे या फल देखभाल गतिविधियों (श्रम प्रभार और फलों की देखभाल सामग्री जैसे बड इंजेक्शन, बंच स्प्रे हेतु रसायन, बंच स्कर्टिंग बैग, रिबन तथा स्प्रे पम्प आदि की लागत सहित) के लिए किसी एजेंसी के माध्यम से नियुक्त कामगारों द्वारा केले के खेतों में बड इंजेक्शन, बंच स्प्रे, डिफ्लॉवरिंग, फल-बाधा निस्तारण, फाल्स हैण्ड रिमूवल, रिबन टैगिंग तथा बंच बैगिंग के कार्यान्वन हेतु अपनी लागत पर कामगारों की सुविधा प्रदान करेगी लेकिन किसान भी समय पर आवश्यक संख्या में मजदूरों की व्यवस्था करने और फल देखभाल गतिविधियों को समय पर कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होगा। फल देखभाल गतिविधियों के लिए आवश्यक सभी श्रम प्रभार और सामग्री की लागत कंपनी द्वारा प्रदान की जा सकती है या इसके लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है या कंपनी द्वारा अग्रिम के रूप में प्रदान की जा सकती है या सहमत शर्तों के अनुसार किसान द्वारा इसका वहन किया जा सकता है।

5.6 सीधे सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने वाले सभी गुच्छा को कवर करने वाले समाचार पत्र का वहन किसान द्वारा अपनी लागत पर किया जायेगा।

5.7 किसान टिप ओवर की संभावना से बचने के लिए गुच्छे को सहारा देने के लिए अपनी लागत पर समय पर उचित सहारे तथा टेक की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

5.8 किसान अपने खर्चे पर फसल बीमा ले सकता है।

5.9 किसान को अपने खर्चे पर मिट्टी, पत्ती और जल का विश्लेषण करवाना होगा।

5.10 किसान ग्लोबल जी.ए.पी. प्रमाणीकरण (यदि कोई हो) के लिए आवश्यक सभी गतिविधियां सम्पन्न करेगा।

5.11 किसान कंपनी के प्रतिनिधि की देखरेख (यदि आवश्यक हो) में केले के फल में अनुमेय सीमा के भीतर अवशेषों के लिए सभी आवश्यक सावधानी बरतेगा।

5.12 उत्पादन के बाद, कंपनी अपनी लागत पर गुणवत्ता मानकों का पालन करने के लिए केले की उपज का निरीक्षण कर सकती है।

5.13 जब तक अन्यथा सहमति न हो, कंपनी को अपनी लागत और जोखिम पर, फसलोपरांत सभी गतिविधियों को सम्पन्न करना आवश्यक है, जिसमें निम्नलिखित गतिविधियाँ शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है:

5.13.1 खेत स्तर पर छंटाई/ ग्रेडिंग/पैकिंग

5.13.2 केंद्रीय वितरण केंद्र तक उपज का परिवहन

5.13.3 प्री-कूलिंग तथा शीत भण्डार प्रचालन

5.13.4 पैक हाउस प्रचालन

5.13.5 निर्यात तथा घरेलू बिक्री

5.14 कंपनी गुणवत्तापूर्ण उत्पाद के लिए किसानों का मार्गदर्शन करने हेतु केले के उत्पादन में अनुभव रखने वाले तकनीकी व्यक्ति की व्यवस्था करेगी।

5.15 कंपनी समय-समय पर सरकार के प्रावधान/मानदंडों के अनुसार परियोजना से संबंधित संबद्ध पात्र किसानों को विभिन्न गतिविधियों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किसान को सुविधा प्रदान हेतु संबंधित सरकार के बागवानी विभाग के साथ समन्वय करेगी। किसान वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आवश्यक उचित दस्तावेज भी समय पर उपलब्ध कराएंगे।

5.16 राज्य/केंद्र सरकार के समन्वय से या कंपनी की लागत पर कंपनी द्वारा प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट और प्रदर्शन आयोजित किए जा सकते हैं।

5.17 इस समझौते में कहीं और उल्लेखित होने के बावजूद, किसान कंपनी की स्वीकृति के बाद किसी भी नुकसान या क्षति के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा और कंपनी फसलोपरान्त की गतिविधियों, बिक्री और लॉजिस्टिक्स की सभी लागतों और जोखिमों के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होगी।

5.18 कंपनी आमतौर पर केले की उपज, उत्पादन स्थल, संपत्ति और इसके द्वारा आपूर्ति किए गए इनपुट के किसी भी कानूनी परिणाम के नुकसान या क्षति के लिए जिम्मेदार होगी।

6. फसल की डिलीवरी

6.1 फसल की कटाई सदैव किसान और कंपनी के बीच परस्पर सहमत कार्यक्रम के अनुसार की जाएगी। कटाई का कार्य कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया जायेगा। किसान इस अवधि के दौरान किसी भी समय, अपने या किसी अन्य पक्ष के माध्यम से, किसी भी अन्य उपज / फल तथा इस तरह के किसी कोई अन्य सहित कंपनी को वितरित किए जाने वाले उत्पाद के किसी भी हिस्से को किसी भी तीसरे पक्ष को बेचने की मांग नहीं करेगा। कंपनी की सहमति और उपस्थिति के बिना किसान द्वारा की गई कोई भी कटाई किसान द्वारा समझौते का उल्लंघन होगी और कंपनी समझौते के उल्लंघन के विरुद्ध उचित कदम उठाएगी।

6.2 किसान अपने खेत से केले के संग्रहण/कटाई के लिए अपने व्यय पर मजदूर की व्यवस्था करेगा।

6.3 कंपनी केले के फल/गुच्छे को केले के खेत से बाहर ले जाने के लिए रु..... प्रति किलोग्राम (श्रेणी क+ख+ग की मात्रा) की मौजूदा निर्धारित राशि पर श्रमिकों की व्यवस्था करेगी। केले की ढुलाई के मौजूदा शुल्क का भुगतान कंपनी द्वारा किया जा सकता है या समझौते की शर्तों के अनुसार किसान द्वारा वहन किया जा सकता है।

6.4 यदि परिवहन वाहन खेत में नहीं पहुंचता है, तो केले के फलों को केले के पैकिंग/प्रसंस्करण स्थल तक ले जाने की व्यवस्था किसान को करनी होगी, जिसका खर्च कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा।

6.5 किसान अपने खेत में केले के प्रसंस्करण के लिए समय पर पर्याप्त पानी की व्यवस्था करेगा। इसका खर्च कंपनी वहन करेगी।

6.6 कंपनी द्वारा अनुबंध 'घ' में उल्लिखित विनिर्देशों के अनुसार फसल की उपज को खेत पर क, ख और ग श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा। केवल ग्रेडिंग और छँटाई के उद्देश्य के लिए श्रम का

व्यय पूरी तरह से कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा।

6.7 गुणवत्ता और पैकेजिंग के संबंध में कंपनी का निर्णय समझौते की शर्तों के अनुसार तीसरे पक्ष के निरीक्षण के अध्यधीन हो सकता है।

6.8 परियोजना के दौरान, कंपनी इस कृषि समझौते के तहत किसान से अनुबंध 'घ' में निर्दिष्ट न्यूनतम गुणवत्ता मानकों को पूरा करने वाले केले के फल खरीदने के लिए बाध्य है ।

6.9 कंपनी साप्ताहिक कटिंग शेड्यूल तैयार और डेलिवर करेगी तथा किसान को सूचित करेगी जिसके अनुसार किसान को केले की कटाई करने तथा कटाई किये गये केलों को खेत से कंपनी के परिवहन वाहन पर ले जाने की अनुमति देनी होगी।

7. मूल्य निर्धारण :

7.1 **विकल्प 1 :** अनुबंध 'घ' में उल्लिखित विशिष्टयों को पूरा करने वाले केले के फलों की खरीद रु. ..... के न्यूनतम गारंटीशुदा मूल्य पर कम्पनी द्वारा की जायेगी।

विकल्प 2 : अनुबंध 'घ' में उल्लिखित विशिष्टयों को पूरा करने वाले केले के फलों की खरीद पारस्परिक रूप से सहमत मूल्य, जो न्यूनतम गारंटीशुदा मूल्य से कम नहीं होगा, पर की जायेगी।

विकल्प 3 : अनुबंध 'घ' में उल्लिखित विशिष्टयों को पूरा करने वाले केले के फलों की खरीद उस क्षेत्र में कटाई के समय सहमति के आधार पर मौजूदा बाजार मूल्य पर कम्पनी द्वारा की जायेगी, किन्तु वह न्यूनतम तयशुदा गारंटी मूल्य से कम नहीं होगी।

विकल्प 4 : अनुबंध 'घ' में उल्लिखित विशिष्टयों को पूरा करने वाले केले के फलों के खरीद मूल्य की गणना पारस्परिक रूप से सहमत मूल्य तथा पारस्परिक रूप से सहमत मूल्य जो बाजार मूल्य से अधिक होगा, के उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए की जायेगी। बाजार दर के उतार-चढ़ाव (उच्चतर) की निश्चित सीमा तक पारस्परिक सहमत तयशुदा मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं

किया जायेगा, किन्तु यदि बाजार दर उतार-चढ़ाव (उच्चतर) की सहमत सीमा से अधिक होती है तो कीमत में अन्तर (मौजूदा बाजार दर तथा पारस्परिक सहमत मूल्य) का एक निश्चित प्रतिशत पारस्परिक सहमत मूल्य में जोड़ दिया जायेगा।

8. भुगतान की शर्तें

8.1 डिलीवरी की स्वीकृति के तुरंत बाद कंपनी भुगतान करेगी। किसान के लिए यूनिक वेंडर कोड सृजित करने के लिए विक्रेता पंजीकरण पूरा किया जाएगा। किसान आधार नंबर, बैंक खाता विवरण (कोई नकद भुगतान नहीं किया जाएगा), आवश्यक आरटीजीएस विवरण, जिसमें भुगतान किया जाना है, के साथ आईएफएससी कोड के लिए कैंसिल चेक उपलब्ध कराएगा।

9. गोपनीयता तथा गैर-प्रतिस्पर्द्धा :

9.1 किसान एतद्द्वारा स्वीकार करता है और सहमत होता है कि परियोजना को लागू करने और क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक जानकारी और सूचना प्राप्त करने के लिए कंपनी पर्याप्त राशि का निवेश करेगी। इसलिए, यह आवश्यक है कि किसान परियोजना से संबंधित किसी भी और समस्त सूचना को गोपनीय रखेगा, जिसमें केले के विकास से जुड़ी या उससे संबंधित समस्त जानकारी और तकनीकी सूचना, कटाई-पूर्व और फसलोपरान्त प्रौद्योगिकियाँ और प्रसंस्करण तकनीक तथा पक्षकारों के मध्य सहमत वाणिज्यिक जानकारी शामिल है। किसान कंपनी के साथ सहमत शर्तों के अनुसार इस समझौते के अनुपालन में परियोजना को निष्पादित करने के एकमात्र उद्देश्य के अलावा किसी भी ऐसी उपरोक्त सूचना का खुलासा या उपयोग नहीं करेगा।

9.2 इस समझौते की अवधि के दौरान, किसान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, विश्व के किसी भी हिस्से में कंपनी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा और न ही किसान भारत और/या विदेशों में केले के विकास, प्रसंस्करण और बिक्री में किसी तीसरे पक्ष के साथ सहयोग करेगा। इसके अलावा, किसान इस समझौते की अवधि के बाद किसी भी समय, स्वयं या किसी अन्य पक्ष के माध्यम से कंपनी के स्वामित्व की उस जानकारी का उपयोग करने का प्रयास नहीं करेगा जो इस

समझौते के तहत विश्व में कहीं भी केले के विकास और/या बिक्री के लिए प्रकटित किया गया है। ।

9.3 इस समझौते की अवधि के दौरान, किसान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कंपनी के अलावा किसी भी पक्ष को केले की बिक्री नहीं करेगा, जब तक कि इस तरह के उद्देश्य के लिए स्पष्ट रूप से सहमत शर्तों के अनुसार कंपनी की पूर्व लिखित सहमति न प्राप्त हो। कंपनी द्वारा ग्रहण न किए गए केले की उत्पादित मात्रा के लिए लिखित सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।

10. किसानों के अधिकार का संरक्षण

10.1 यह समझौता किसी भी तरह से किसान की जमीन पर उसके स्वामित्व अधिकार और कब्जे को प्रभावित नहीं करेगा।

10.2 अनुबंध की अवधि पूरी होने पर कंपनी अपनी लागत पर किसान की भूमि पर निर्मित सभी संरचनाओं, यदि कोई हो, को हटा देगी।

10.3 अप्रत्याशित घटना के परिणामस्वरूप फसल के नुकसान के कारण डिलीवरी न होने की स्थिति में उत्पाद की डिलीवरी या कंपनी के नुकसान के लिए किसान उत्तरदायी नहीं होगा।

11. विवाद निपटान तंत्र

11.1 इस समझौते से या इसके संबंध में कोई भी विवाद, तकरार या मतभेद उत्पन्न होता है, तो पक्षकार सर्वप्रथम ऐसे विवादों, तकरार या मतभेद को सुलह द्वारा सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने का प्रयास करेंगे।

11.2 तीस दिनों की अवधि के भीतर आपसी सहमति / सुलह द्वारा विवाद को हल करने में विफल होने पर, विवाद, तकरार या गतिरोध को अंतिम रूप से कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश 11) तथा उसके तहत निर्मित कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर कृषक करार (विवाद निपटान) नियमावली, 2020 के अनुसार नामित और परिभाषित सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुलझाया जाएगा।

12. विविध:

12.1 किसान एक स्वतंत्र पक्षकार है और रहेगा तथा इस समझौते को कंपनी और किसान के बीच संघ, साझेदारी या संयुक्त उद्यम, प्रिंसिपल एवं एजेंट या नियोक्ता एवं कर्मचारी का संबंध सृजित नहीं करेगा।

12.2 दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित रूप के अलावा इस समझौते को परिवर्द्धित, संशोधित या परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

12.3 यह अनुबंध, अपने अनुलग्नकों सहित, पक्षकारों के बीच संपूर्ण अनुबंध को निर्धारित करता है और इस विषयगत मामले पर पक्षकारों के बीच मौखिक या लिखित सभी पूर्व अनुबंधों, व्यवस्थाओं और समझ पर वरीय होगा ।

12.4 कोई भी पक्षकार दूसरे पक्षकार की पूर्व लिखित सहमति के बिना इसके तहत अपने दायित्वों या अधिकारों के सभी या किसी हिस्से को आवंटित या भारित नहीं करेगा।

12.5 यह अनुबंध दो समकक्षों में क्रियान्वित किया जाएगा, जिनमें से प्रत्येक मूल होगा, किन्तु सभी एक ही लेखपत्र निर्मित करेंगे।

12.6 इस अनुबंध में प्रयुक्त शीर्षकों का उपयोग केवल सुविधा के लिए किया गया है और इस अनुबंध को समझने या व्याख्या करने में इनका विचार नहीं किया गया है।

12.7 इस समझौते की कोई भी शर्त इसके पक्षकारों तथा उनके संबंधित उत्तराधिकारियों और आवंटितियों के लिए बाध्यकारी और उनके लाभ के प्रतिकूल नहीं होगी। कोई भी पक्षकार दूसरे पक्षकार की पूर्व लिखित सहमति के बिना इस समझौते को आवंटित नहीं कर सकता है, सिवाय इसके कि कोई पक्षकार (यहां उल्लिखित अपने दायित्वों से मुक्त हुए बिना) इस अनुबंध को किसी ऐसे तीसरे पक्ष को सौंपे जो उसके सभी व्यवसाय या संपत्तियों का वस्तुत: उत्तराधिकारी हो।

12.8 यदि इस समझौते का कोई प्रावधान अमान्य, अवैध या अप्रवर्तनीय होगा, तो इसे व्यावहारिक

सीमा तक संशोधित किया जाएगा ताकि इसे वैध, कानूनी और प्रवर्तनीय बनाया जा सके और पक्षकारों के इरादे की निकटता तक बनाये रखा जा सके तथा शेष प्रावधानों की वैधता, सांविधिकता तथा प्रवर्तनीयता किसी भी तरह से प्रभावित या बाधित न हो।

12.9 इस समझौते के किसी प्रावधान का कोई भी संशोधन तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि संशोधन लिखित रूप में और दोनों पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित न हो। इस समझौते के किसी भी प्रावधान का कोई भी अधित्याग तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि अधित्याग लिखित रूप में और अधित्यागी पक्षकार द्वारा हस्ताक्षरित न हो। इस समझौते के किसी भी उल्लंघन के किसी भी पक्ष द्वारा किसी अधित्याग को यहां उल्लिखित कोई अन्य उल्लंघन या किसी भी अन्य ऐसी घटना के कारण उत्पन्न किसी भी अधिकार को प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा।

12.10 पक्षकारों को तामील करने के लिए यह सूचना लिखित रूप में होगी और यदि यह पंजीकृत डाक पावती द्वारा भेजा जाता है या निम्नलिखित पते पर व्यक्तिगत रूप से दिया जाता है तो उचित रूप से तामील करनी होगी (साथ ही अन्य पक्षकार को भी लिखित रूप में सूचित करनी होगी) :

कम्पनी;-

…………………………………………….

………………………………………….

…………………………………………

किसान :

किसान का नाम………………………

पता ……………………

……………… …………

……………………………

12.11 इस करार में निहित और बताई गई किसी भी बात के होते हुए भी, यदि इस समझौते का कोई या सभी प्रावधान कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश 11) के प्रावधानों के उल्लंघन में है तो करार अमान्य हो जाएगा और इस करार के विघटन के कारण कोई भी वित्तीय बोझ कंपनी द्वारा वहन किया जाएगा।

इसके साक्ष्य में इसके पक्षकारों ने इस समझौते के लिए इसकी एक प्रति सहित उपर्युक्त तिथि एवं वर्ष को इस पर अपने-अपने हस्ताक्षर किए।

हस्ताक्षरकर्ता तथा प्रेषक :

"किसान" नाम से)

की उपस्थिति में)

)

हस्ताक्षरकर्ता एवं प्रेषक

"कम्पनी" नाम से)

.....

अधिकृत हस्ताक्षरी

की उपस्थिति में)

अनुलग्नकों की सूची :

अनुबंध क: कटाई के समय गुच्छा चयन तथा ग्रेडिंग के दिशा-निर्देश

अनुबंध ख: तौल तथा भुगतान संबंधी दिशा-निर्देश

अनुबंध ग : केले के खेत के मूल्यांकन हेतु कार्यकारी मॉडल

अनुबंध घ : केल के फल का गुणवत्ता मानदंड

अनुबंध क : कटाई के समय गुच्छा चयन तथा ग्रेडिंग के दिशा-निर्देश

1. **स्वीकार्य गुच्छे :**
   - पारस्परिक सहमत मानदंड परिभाषित किया जायेगा

2. **आंशिक स्वीकार्य गुच्छे :**
   - पारस्परिक सहमत मानदंड परिभाषित किया जायेगा

3. **अस्वीकृत गुच्छे :**
   - पारस्परिक सहमत मानदंड परिभाषित किया जायेगा

अनुबंध ख : तौल तथा भुगतान संबंधी दिशा-निर्देश :

क. तौल :

i. स्वीकार्य गुच्छों की कटाई की जायेगी तथा केलों को गुच्छों से काटकर अलग किया जायेगा। **केवल चयनित केलों को बक्सों/क्रेट में रखा जायेगा और उनकी तौल की जायेगी।**

ii. कटाई पर्यवेक्षक किसान या उसके प्रतिनिधि के साथ संगत निवल भार को रिकार्ड करेगा।

iii. धर्मकांटे पर बक्सों/क्रेट लदे वाहन की तौल का व्यय किसान द्वारा वहन किया जा सकता है और केलों का निवल भार पैकिंग सामग्री अर्थात बक्सों/क्रेट के भार को घटाने के बाद परिगणित किया जायेगा।

ख. भुगतान का आधार :

इनवॉयस की मदें	परिगणित राशि
भाग के रूप में प्राप्त केला (उत्तम गुणवत्ता)	आधार मूल्य (बी1): निवल भार किग्रा (क+ख+ग) * पारस्परिक रूप से सहमत बाजार दर (रु. / किग्रा) बाजार दर कटाई किये गये केले की कुल मात्रा पर पारस्परिक सहमत कटाई लागत अर्थात रु. ..... प्रति किग्रा को घटाने के पश्चात निर्धारित की जाएगी (क+ख+ग)

अनुबंध ग: बनाना खेत के मूल्यांकन हेतु कार्यकारी मॉडल:

(क) मासिक मूल्यांकन एवं रिपोर्ट

- पारस्परिक मूल्यांकन प्रणाली वर्णित की जाएगी

(ख) रेटिंग प्रणाली

- पारस्परिक मूल्यांकन प्रणाली वर्णित की जाएगी

अनुबंध घ: केले की गुणवत्ता के मानदंड और विशिष्टताएं

i. **वर्ग - क के लिए दोष सहयता**

- दोषों और उनकी सहयता सीमा के पारस्परिक विवरण को वर्णित किया जाएगा

ii. **वर्ग - ख के लिए दोष सहयता**

- दोषों और उनकी सहयता सीमा के पारस्परिक विवरण को वर्णित किया जाएगा

iii. **शुन्य दोष सहयता**

- दोषों और उनकी सहयता सीमा के पारस्परिक विवरण को वर्णित किया जाएगा

iv. **फल की आयु, व्यास, लंबाई, उपलब्ध फलों की संख्या और कटाई चरण के दौरान कार्यात्मक पत्तियां**

फल आयु सप्ताह	मौसमी परिस्थितियों पर आधारित और क्यूए विभाग के कटाई अनुदेश के अनुसार (8 -16 सप्ताह तक)
कटाई चरण पर पत्तियां	न्यूनतम 5 कार्यात्मक पत्तियां
मापाकंन	44- 46 केलीपर (दूसरे हाथ की मध्यमा अगुंली)
अगुंली की लंबाई (इंच)	गूदे की लंबाई न्यूनतम 7 इंच
फिंगर /हाथ की संख्या	न्यूनतम 12